राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1941/2019

कमलकांत शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव (गृह), गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर रेंज, भरतपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.07.2019
आदेश की दिनांक : 05.11.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 20.05.2019 को पारित तीन आदेशों को चुनौती दी है। इसके अलावा अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 04.06.2019 एवं 11.06.2019 को भी चुनौती दी है। दिनांक 20.05.2019 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को पूर्व में स्वीकृत तकनीकी चयनित वेतनमान को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं एवं कॉस्टेबल सामान्य का चयनित वेतनमान दिये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। आदेश दिनांक 20.05.2019 के द्वारा ही अपीलार्थी के सम्बन्ध में संशोधित वेतन वृद्धियां स्वीकृत की गयी है एवं दिनांक 20.05.2019 के अन्य आदेश के द्वारा रिवाईज वेतन अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप आगामी संशोधित वेतन वृद्धियां प्रदान की गयी है। आदेश दिनांक 04.06.2019 के द्वारा तृतीय एसीपी में वेतन संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं आदेश दिनांक 11.06.2019 के द्वारा संशोधित वेतन वृद्धियां स्वीकृत की गयी हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कॉस्टेबल सामान्य के पद पर हुई थी। चूंकि अपीलार्थी पूर्व से ही एमटी शाखा में कार्यरत था। ऐसे में अपीलार्थी को

एमटी शाखा के रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित किया गया। इस सम्बन्ध में आदेश दिनांक 22.04.2006 पारित किया गया। उक्त आदेश में यह भी अंकन था कि अपीलार्थी को तकनीकी संवर्ग का चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके उपरांत अपीलार्थी को आदेश दिनांक 13.06.2006 के द्वारा तकनीकी संवर्ग का 18 वर्षीय चयनित वेतनमान प्रदान किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी तकनीकी संवर्ग में समायोजित हो चुका है। ऐसे में अपीलार्थी तकनीकी शाखा का ही लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः आलोच्य आदेशों से उक्त लाभ को निरस्त कर अपीलार्थी को कॉस्टेबल सामान्य के पद का चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी. रिट याचिका संख्या 3873/2019 अमर सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 में निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया है:–

> "11. This Court also observes that the petitioners were appointed on the post in question as M.T. Cadre and thereafter, their next promotional post was Head Constable and then Sub-Inspector as per the M.T. Cadre, and therefore it is clear that the petitioners are eligible for pay scale of the next promotional post, but the said benefit was denied by the respondents, which is not justified in law.
>
> 12. This Court further observes that the petitioners at the completion of 9 years of regular services, were granted the pay scale of the next promotional post, but thereafter, on completion of 18 years of the services, the respondents did not grant them the benefits of the next promotional post, which impugned action is not sustainable in the eye of law, because the respondents at the first instance i.e. completion of 9 years of services considered the petitioners for next promotional pay scale as per the M.T. Cadre, but at the same time, denied them the same benefit on completion of 18 years of service.
>
> 13. This Court also observes that the impugned action of denial of grant of the pay scale of the next promotional post to the petitioners by the respondents and granting the petitioners the pay scale of different Cadre i.e. Assistant Sub inspector is not permissible in the eye of the law.
>
> 14. Thus, in light of the above observations and afore-quoted precedent laws as well as looking into the factual matrix of the present case, the present petition is allowed and the impugned order dated 10.12.2018 is quashed and set-aside, while directing the respondents to grant to the petitioners the pay scale benefits of the next promotional post as per the M.T. Cadre i.e SubInspector from the date the petitioners became eligible therefor. All pending applications stand disposed of."

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को भी एमटी शाखा में समायोजित किया जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी भी एमटी शाखा के अनुसार

ही चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी को एमटी शाखा में समायोजित किये जाने का आदेश दिनांक 22.04.2006 पारित किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान रखा गया है कि अपीलार्थी को नियमानुसार तकनीकी संवर्ग का चयनित वेतनमान का लाभ देय होगा। प्रत्यर्थी विभाग ने समायोजन के उक्त आदेश को ध्यान में नहीं रखते हुए अपीलार्थी को तकनीकी संवर्ग का दिया गया लाभ निरस्त कर दिया है, जो उचित नहीं है।

3. इस अधिकरण ने इस अपील में अन्तरिम आदेश दिनांक 30.07.2019 पारित कर अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह आदेश पारित किया था कि आलोच्य आदेशों की क्रियान्विति आगामी आदेश तक स्थगित रखी जावे और अपीलार्थी से दौराने अपील कोई वसूली नहीं की जावें।

4. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

5. हम पाते हैं कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश पारित किये जाने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. रिट याचिका संख्या 3873/2019 अमर सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में आदेश दिनांक 20.12.2023 पारित किया जा चुका है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. रिट याचिका संख्या 3873/2019 अमर सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी को देय चयनित वेतनमान के सम्बन्ध में पुनः विचार किया जाए एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त न्यायिक निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से अपीलार्थी को देय चयनित वेतनमान के सम्बन्ध में आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) आदेश पारित करें। इस आदेश की पालना एक माह में सुनिश्चित की जाएं। तब तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में इस अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30.07.2019 प्रभावी रहेगा।

6. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)